

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा
श्रीमती शची आर्य बनाम श्रीमती विमलेश वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए मु० नं० ०२/१२/२०२२ सन -2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.02.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित/वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात व वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगण को जय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम बन्दीपुरा तहसील मालाखेडा के आराजी खाता स० 192 के आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 0.86 कुल किता 01 रकबा 0.86 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश हो। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला दावा (Absolute) कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में दिनांक 28.02.2022 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 28.02.2022 को पेश हो।</p> <p>28-2-22 पत्रावली पेश हुई वकालत प्रार्थी उ० पत्रावली वाक्ये... दिनांक... को पेश होंगे। T. I. भागामी वकील प्रार्थी शची</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)</p>	

28-2-22
पत्रावली पेश हुई वकालत प्रार्थी उ०
अपीलान्ट की तलबी हेतु 28.02.2022 को पेश होंगे। T. I. भागामी वकील प्रार्थी शची

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) उ०

24-5-22

वकील प्रो. अ. अग्रवाल की
तकली है, रजिस्ट्रिडी की तलाशना
को करने बावत एक मोर आवलर
दिनांक 29-6-22 को प्रो. अ. अ.
आगामी 29-6-22 को प्रो. अ. अ.

[Handwritten signature]
अधिकारी

29.06.22
बकुलाय उप०/वार का कार्य स्थगन होने के कारण
पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक 12.09.22

[Handwritten signature]
रीडर

12-9-22
वकील प्रो. अ. अग्रवाल की तलाशना
को करने बावत एक मोर आवलर
दिनांक 3-11-22

[Handwritten signature]
रीडर

3/11/22

वकील प्रो. अ. अग्रवाल की तलाशना
को करने बावत एक मोर आवलर
दिनांक 28/12/22

अधिकारी
मालाखेड़ा (अनवर) राज०

28/12/22
बकुलाय उप०/वार का कार्य स्थगन होने के कारण
पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक
को पेश करें। 28/12/23

[Handwritten signature]
रीडर

28/12/23
बकुलाय उप०/वार का कार्य स्थगन होने के कारण
पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक
को पेश करें। 16/5/23

[Handwritten signature]
रीडर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

शालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

शांति आर्घ

बनाम

2 विमलेश देवी

सम मुकदमा

नं०

27

सन्

2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/9/23	<p>16/5/23</p> <p>वकील बद्रीचन्द्रनाथ उपा/पाठशाला अधिकारी..... में व्यवहारे के कारण पत्रावली एवं अदेशिका अनुसार दिनांक 4/8/23 को पत्रावली</p> <p>4.8.23</p> <p>वकूलाव उपा/बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली पूर्व अदेशिका अनुसार दिनांक..... को पत्रावली</p> <p>27-10-23</p> <p>उपरखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	<p>शान्ति आर्घ</p> <p>विमलेश देवी</p> <p>29/9/23</p>